17·9·20	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251क की उपधारा (1) के अधीन स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया व शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर - दाखिल दफ्तर हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 15:04:48 IST
Reason: SelfAttested